न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 47 /2021

अब्दुल रहीम अंसारी निवासी ग्राम पोस्ट राजमहल तहसील देवली जिला टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **11–2–2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार देवली को आवेदन पत्र दिनांक 29–10–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

सर्वोच्च न्यायालय के सिविल वाद जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार आदेश दिनांक 28.01.2011 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा चारागाह में कितने अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटाये गये। जिनकी विवरण सूची की सत्यापित प्रतिलिपी उपलब्ध करायें। बनास नदी राजमहल के उत्तरी किनारों पर गैर पंचायत के अतिक्रमियों के विरूद्ध अब तक की गयी कार्यवाही की विवरण सूची की सत्यापित प्रतिलिपी उपलब्ध करावें।

यह की अंसारी ब्रदर्श गारनेट वर्क्स, राजमहल तहसील देवली के पक्ष में चारागाह क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 13.06.2018 के बाद जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किन किन खसरा नम्बरों में कितना चारागाह क्षेत्र शेष की विवरण सूची की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

यह कि गैर मुमकिन तालाब व पाल में कितने अतिक्रमियों के अतिक्रमण हटाये जिनकी विवरण सूची की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें

यह कि राजमहल के किसान सेवा केन्द्र से स्वास्थ्य केन्द्र देवली रोड पर चारागाह को आवंटन करीब 10 बीघा आवंटन पत्र रजिस्ट्री नाम खाता खतोली एवं पत्रावली की सत्यापित प्रतिलिपि चारागाह को परिवर्तन नियमावली प्रकिया एवं संशोधित आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

सलाम अली, अब्दुल कलाम, मोईनुद्दीन फिल्टर प्लान्ट राजमहल के पास चारागाह भूमि जिसका नियमन व की गयी अग्रीम कार्यवाही खाता खतोनी एवं समुचित पत्रावली की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना [illegible] होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर [illegible] की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र [illegible] 1512 दिनांक 22–12–2021 को रजि0 डाक से प्रेषित कर [illegible] अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी [illegible] कि सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली द्वारा आदिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया है। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली जिला–टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested